न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/201

1. कृष्णलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मांगेराम पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रजो देवी पत्नी उदमीराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. भागीरथ पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सवित्री पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कोमल पुत्री लालचन्द नाबालिग जरिये वली माता पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. अमन पुत्र लालचन्द नाबालिग जरिये वली माता पूजा पत्नी लालचन्द जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. अन्नपूरी पुत्री साहबराम पत्नी अनिल जाति जाट साकिन ढंढेला हाल रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. साहबराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. पवन कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. धर्मपाल पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. सरला पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

7. गुड्डी पुत्री उदमीराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. कलो पुत्री उदमीराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. किस्तूरी पुत्री उदमीराम जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
10. सरबती पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. गायत्री पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
12. अन्जू पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन ढंढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

—तरतीबी रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर,
आदेश दिनांक 16.05.2018 प्रकरण संख्या 87 / 2016
अनवान अन्नपुरी बनाम साहबराम आदि

उपस्थितिः–

श्री हवासिंह पूनियॉ, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विजय सिह कड़वासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6

निर्णय दिनांक 06.04.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 वादी ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष एक वाद 88, 188 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें रोही मौजा ढंढेला तहसील नोहर के ख. नं. 206 / 2 की 5.8170 व 361 की 9.7000 कुल 15.5170 है0 भूमि बीरबल पुत्र जेठाराम की होना बताया एवं उसके फौत होने के बाद उनके चारों पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिसमें गैरसायल नं. 1 का संयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा दर्ज है। विवादित भूमि पैतृक जद्दी जायदाद है जो गैरसायल नं. 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई जिसमें वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 ता 4 का जन्म से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। एवं प्रतिवादी नं. 1 अपने नाम भूमि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है इसलिए विवादित भूमि रहन बैय ना करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री की जावे। दावा के साथ एक प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि विवादित भूमि रहन बैय ना करे बाबत प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जावे। प्रार्थना–पत्र में दिनांक 12.07.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है एवं बाद में दिनांक 16.05.2018 को वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ता 12 का दावा एवं प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं है एवं उनका विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा भूमि है एवं उनके खिलाफ दावा में कोई इस्तदुआ नहीं है इसके बावजूद भी रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया गया जो उनके हक व हिस्सा तक निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि रोही मौजा ढंढेला तहसील नोहर की 15.5170 है0 भूमि में गैर सायल नं. 1 का 1/4 हिस्सा भूमि है एवं गैरसायल नं. 1 को 1/4 हिस्सा तक ही भूमि के लिए पाबन्द करना चाहिए था। मातहत अदालत ने ने अपीलाट्स एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट सं0 7 ता 12 का विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा भूमि है। उस पर निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट पक्षकार नहीं होने के कारण उन्हें अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है जिसमें किस पक्षकार का कितना हक हिस्सा है यह तय होना है। उभयपक्षों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायोचित है। स्थगन से अपीलाण्ट को किसी प्रकार नुकसान नहीं हैं। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील देरी से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान पूर्व से ही रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर [illegible] प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेसपोडेण्ट नं. 7 ता 12 दावा में प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं है एवं उनका विवादित भूमि में 3/4 हिस्सा भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है एवं उनके खिलाफ दावा में कोई इस्तदुआ नहीं है इसके बावजूद भी रिकार्ड की यथास्थिततति का आदेश पारित कर दिया गया है। इस आदेश से अपीलाण्ट प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2018 को दुरूस्त कर रोही मौजा ढंढेला तहसील नोहर के ख0 नं0 206/2 की 5.8170, 361 की 9.7000 कुल 15.5170 है0 भूमि में अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट सं0 7/12 के विवादित भूमि में दर्ज 3/4 हिस्सा भूमि तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 6.4.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/4/22

(करतारसिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:08:54 IST
Reason: SelfAttested